कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 578 /11–सी–FP/UP/Water/39692/2019, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 14 ,2020

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0, सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषयः– जनपद–सुलतानपुर में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकास खण्ड–कूरेभार के वल्लीपुर जोन–2 ग्राम–रतनपुर, तहसील–सदर में पेयजल पाईप लाइन बिछाने हेतु 0.1095 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.01245 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.12195 हे0 वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0:– FP/UP/Water/39692/2019

संदर्भः– आपका पत्रांक–759/14–10, दिनांक 09.09.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बरांबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है। अतः संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में प्रभावित 0.1095 हे0 आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता/विवरण खतौनी आदि संलग्न नहीं है।
3. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी/वन बंदोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय निदेशक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
5. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के बदले 0.1095 हे0 अवनत वनभूमि एवं प्रभावित 0.01245 हे0 संरक्षित वनभूमि के दुगने अर्थात 0.0249 हे0 अवनत वनभूमि (कुल 0.1344 हे0) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है जोकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष समतुल्य गैर वनभूमि पर एवं संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित अलग–अलग विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें तथा कुल धनराशि ऑनलाइन भाग–2 में फीड करें।
6. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map संलग्न किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि का Geo Referenced Digital Map संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का SoI Toposheet संलग्न किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि का SoI Toposheet संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
8. प्रस्ताव में उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु अपूर्ण है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि एवं संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
9. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है, किन्तु भारत सरकार की एन0पी0वी0 की गाइडलाइन दिनांक 05.02.2009 के अनुसार नहीं है। भारत सरकार की गाइडलाइन में 1 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित होने एवं 4'' Diameter की पेयजल पाइप लाइन बिछाये जाने की स्थिति में एन0पी0वी0 की छूट है। अतः यह स्पष्ट करें कि प्रकरण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कितनी Diameter की पाइप लाइन बिछानी है। प्रकरण में एन0पी0वी0 की देयता की स्थिति में एन0पी0वी0 की गणना हरियाली घनत्व इको क्लास के अनुसार संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
10. प्रस्ताव में रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार्य नहीं है। अतः रेलवे विभाग की एन0ओ0सी0 संलग्न करें।
11. वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र पर जिलाधिकारी की मोहर नहीं लगी है। अतः जिलाधिकारी की मोहर युक्त प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में यथास्थान अपलोड करें।
12. ऑनलाइन भाग–1 व हार्डकापी भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः एक समान सही परियोजना की लागत अंकित करें।
13. ऑनलाइन भाग–2, हार्डकापी भाग–2 एवं एन0पी0वी0 की गणना में हरियाली घनत्व भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः एक समान सही हरियाली घनत्व अंकित करें।
14. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–6 व 7 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
15. प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि के साथ समतुल्य गैर वनभूमि एवं दुगने अवनत वनभूमि के के0एम0एल0 फाइल की सीडी प्रस्ताव में संलग्न करें।

Acy-734

16. उपरोक्त कमियों को दूर कर त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन भाग–2 से डिलिट कर संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।

आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रभागीय निदेशक द्वारा अत्यन्त लापरवाही दिखाते हुये प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका परीक्षण आपके स्तर पर नहीं गया है। कृपया भविष्य में प्रस्ताव भेजते समय उचित परीक्षण करा लें। इससे न केवल अनावश्यक समय की बरबादी होती है, अपितु परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब भी होता है।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 578 /11–सी–FP/UP/Water/39692/2019, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, सुलतानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, अति0 निर्माण खण्ड, उ0प्र0, जल निगम, सुलतानपुर।

154

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक सरयू वृत्त अयोध्या
पत्रांक 826 114-10 दिनांक - 15/09/20
प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी सुलतानपुर को मु.व.सं./नोडल अधिकारी के कार्यालय से प्रस्ताव की प्रति प्राप्त कर लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रेषित।

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सा0 वा0, सरयू वृत्त, उ0प्र0
अयोध्या

Acy-735